



प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,

समग्र शिक्षा,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 03 सितम्बर, 2026

विषय: **वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत सामान्य मद में प्राप्त केन्द्रांश की फर्स्ट मदर सेंक्शन के सापेक्ष केन्द्रांश तथा संगत राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-समग्र शिक्षा/वित्त-बजट/3853/2026-27, दिनांक 19.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में **अनुदान संख्या-81** के अन्तर्गत समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष -2202-01-796-01-0103-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राप्त 1st Mother Sanction के सापेक्ष केन्द्रांश तथा संगत राज्यांश की धनराशि ₹0 4143.18 लाख स्टेट इम्पलीमेंटिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पी०एम० श्री योजनान्तर्गत अनुदान सं०-81 के लेखाशीर्ष -2202-01-796-01-0103-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 20023.82 लाख के सापेक्ष 1st Mother Sanction के रूप में धनराशि **₹0 4143.18 लाख (रूपये इक्तालीस करोड़ तैंतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** (केन्द्रांश धनराशि ₹0 2485.91 लाख एवं संगत राज्यांश धनराशि ₹0 1657.27 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है।
- (2) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय किया जाएगा।
- (3) निर्धारित कार्यों से इतर धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा व किसी भी अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (4) निर्माण से संबंधित भौतिक प्रगति की रिपोर्ट एवं व्यय की गयी समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2025 तथा योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-796-जनजातीय उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

योजनाएं-0103-समग्र शिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-164-X-2026-27, दिनांक 31 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रैजरी, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
- 10- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल मणि यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।